

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रकरण संख्या- 30/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-14.06.2021

शम्भूगिरी पिता सुन्दर गिरी जाति गुसाई आयु 55 वर्ष निवासी फलवा तह०
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्यामलाल पिता श्री भूरालाल जी जाति नाई उम्र 60 साल निवासी फलवा तह०
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. गुलाबचन्द पिता शंकर जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी साण्ड तह० निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
3. सागरबाई पत्नी मांगीलाल जी सरगरा उम्र वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ राज०

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा० ले० रे० एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा अलसीगढ़ प०ह० फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 45 की आराजी नं० 11 रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा अलसीगढ़ प०ह० फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 45 की आराजी नं० 11 रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

